

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धरा 19(1) के तहत अपील

सेवा में

< केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी
समन्वयकर्ता केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी >

1. अपीलकर्ता का नाम :
2. पता :
3. आई.डी.नं. :
4. अपील के कारण * :

स्थान : अपीलकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक : ई-मेल पता, यदि हो तो :
टेलीफोन सं (कार्यालय) :
टेलीफोन सं (आवास) :
डाक-पता :

* अपेक्षित सूचना के संबंध में अपील करने के कारण का उल्लेख करें।)